

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

प्रारूप-ड.
नियम 7(2) देखिये
-आंशिक संशोधन अनुमति-

क्रमांक 21/अ.वि.अ./वा.-1/2025

धरमजयगढ़, दिनांक 08/05/2025

प्रति,

जितेन्द्र कुमार खुटिया पिता दुर्योधन खुटिया
जाति महकूल निवासी-गोलाबुड़ा
तहसील कापू जिला रायगढ़ (छ0ग0)

विषय- रोपित रूप से उगे सागौन वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—00—

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 28/03/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 01/04/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27/04/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु रोपित आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-
35 नग सागौन वृक्ष की छाती गोलाई का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	वृक्ष की प्रजाति	छाती गोलाई	औसत उचाई	क्रं.	वृक्ष की प्रजाति	छाती गोलाई	औसत उचाई
1	सागौन	90	15	19	सागौन	168	20
2	सागौन	80	16	20	सागौन	106	17
3	सागौन	120	17	21	सागौन	86	13
4	सागौन	68	14	22	सागौन	188	15
5	सागौन	104	16	23	सागौन	86	15
6	सागौन	58	15	24	सागौन	92	18
7	सागौन	74	17	25	सागौन	82	18
8	सागौन	66	15	26	सागौन	76	10
9	सागौन	68	14	27	सागौन	90	15
10	सागौन	110	18	28	सागौन	90	15
11	सागौन	94	14	29	सागौन	60	8
12	सागौन	102	12	30	सागौन	84	15
13	सागौन	96	15	31	सागौन	60	14
14	सागौन	110	15	32	सागौन	98	20
15	सागौन	92	12	33	सागौन	78	12
16	सागौन	120	14	34	सागौन	70	8
17	सागौन	120	13	35	सागौन	58	12
18	सागौन	118	18				

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि शान गोलाबुड़ा प.ह.नं. 18 तहसील कापू स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 192/2 रकबा 0.8740 हे० भूमि में रोपित रूप से उगे 35 नग सागौन वृक्ष है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।
छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) विधम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

पृ. क्रमांक 9219 अ.वि.अ./वा.-1/2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धरमजयगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार कापू को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

Sr. Kmt 19



अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जिला धरमजयगढ़ (छ.ग.)
धरमजयगढ़, दिनांक 08/05/2025

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जिला रायगढ़ (छ.ग.)